मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVII अंक 11 फरवरी 2022

एमसीआईआर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1
II. विनियमन	2
III. सरकार का बैंकर	3
IV. भुगतान और निपटान प्रणाली	3
V. पर्यवेक्षण	3
VI. वित्तीय समावेशन और विकास	3
VII. विदेशी मुद्रा प्रबंधन	3
VIII. आरबीआई बुलेटिन	4
IX. जारी आंकड़े	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा फरवरी महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और जानकारी के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचना को साझा करने, प्रशिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

एमपीसी का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 10 फरवरी 2022 को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। एलएएफ़ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर बनी हुई हैं।

यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से, जब तक आवश्यक हो, निभावकारी रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया। ये निर्णय संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

I. चलनिधि उपाय

क) *आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹50,000 करोड़ की मीयादी चलनिधि सुविधा की अवधि को बढ़ाना:*

मई 2021 में देश में कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए तत्काल चलनिधि के प्रावधान को बढ़ावा देने हेतु रेपो दर पर ₹50,000 करोड़ की ऑन-टैप चलनिधि विंडो की घोषणा की गई थी, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की थी। बैंकों को 31 मार्च 2022 तक ऐसे ऋण के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण के विस्तार के माध्यम से, इस योजना के अंतर्गत ऋण के त्वरित वितरण के लिए प्रोत्साहित किया गया था। बैंक, प्रतिवर्ती रेपो विंडो के अंतर्गत आरबीआई के पास कोविड-19 ऋण बही की राशि तक अपनी अधिशेष चलनिधि को रेपो दर से 25 बीपीएस कम पर जमा करने के लिए पात्र थे। रिज़र्व बैंक ने इस विंडो को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 30 जून 2022 तक करने का प्रस्ताव किया।

ख) *संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए ऑन टैप चलनिधि विंडो की अवधि को बढ़ाना:*

कुछ संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध तीन वर्ष तक की अवधि के साथ रेपो दर पर ₹15,000 करोड़ की एक अलग चलनिधि विंडो खोला गया था। प्रोत्साहन के रूप में, ऐसे बैंक इस योजना के अंतर्गत बनाई गई कोविड-19 ऋण बही की राशि तक अपनी अधिशेष चलनिधि को आरबीआई के पास जमा करने के पात्र थे। योजना को मिली प्रतिक्रिया को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने इस विंडो को 30 जून 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. वित्तीय बाजार

क) *स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) - सीमाओं में वृद्धि*

देश में जारी ऋण लिखतों में स्थायी निवेश की सुविधा के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा सरकारी और कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) को मार्च 2019 में प्रारंभ किया गया था जिसकी निवेश सीमा ₹1,50,000 करोड़ निर्धारित की गई थी। वीआरआर की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2022 से वीआरआर के तहत निवेश सीमा को और ₹1,00,000 करोड़ बढ़ाकर ₹2,50,000 करोड़ करने का प्रस्ताव किया है।

ख) *विदेशी मुद्रा में निपटान रुपया डेरिवेटिव बाजार*

देश में ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार को और बढ़ावा देने, तटीय और अपतटीय बाजारों के बीच संवर्गीकरण को दूर करने और मूल्य खोज की दक्षता में सुधार करने की दृष्टि से, यह

निर्णय लिया गया है कि भारत के बैंकों को अनिवासियों और अन्य बाजार निर्माताओं के साथ अपतटीय विदेशी मुद्रा में निपटान होने वाले ओवरनाइट सूचकांकित स्वैप (एफ़सीएस-ओआईएस) बाजार में लेनदेन करने की अनुमति दी जाए। बैंक भारत में अपनी शाखाओं, अपनी विदेशी शाखाओं या अपनी आईएफ़एससी बैंकिंग इकाइयों के माध्यम से भाग ले सकते हैं।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

क) *ई-रूपी के अंतर्गत अधिकतम सीमा में वृद्धि*

ई-रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर, एक व्यक्ति-विशिष्ट और उद्देश्य-विशिष्ट नकदी रहित वाउचर है जिसकी सीमा ₹10,000/- प्रति वाउचर है और प्रत्येक वाउचर का उपयोग/ मोचन केवल एक बार किया जा सकता है। रिज़र्व बैंक ने, लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की डिजिटल सुपुर्दगी की सुविधा के लिए, सरकारों द्वारा जारी किए गए ई-रूपी वाउचर की सीमा को बढ़ाकर ₹1,00,000/- प्रति वाउचर करने और ई-रूपी वाउचर के कई बार उपयोग की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ख) *मएसएमई प्राप्य राशियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे*

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्राप्य राशियों में छूट/वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) की राशि ₹1 करोड़ तक सीमित है। एमएसएमई की बढ़ती चलनिधि आवश्यकताओं और टीआरईडीएस प्लेटफार्मों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, टीआरईडीएस निपटान के लिए एनएसीएच अधिदेश सीमा को ₹3 करोड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

IV. विनियमन और पर्यवेक्षण

रिज़र्व बैंक ने आईटी आउटसोर्सिंग के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे, संकेन्द्रण जोखिम के प्रबंधन, आवधिक जोखिम मूल्यांकन, विदेशी सेवा प्रदाताओं के आउटसोर्सिंग, सूचना सुरक्षा सुशासन और नियंत्रण, कारोबार निरंतरता प्रबंधन और सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा को संबोधित करने हेतु दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव किया।

तदनुसार, हितधारकों और जनता की टिप्पणियों के लिए दो मसौदा निदेश जारी किए जाएंगे: (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (आईटी आउटसोर्सिंग) निदेश, 2022; और (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (सूचना प्रौद्योगिकी सुशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन पद्धतियां) निदेश, 2022।

एमपीसी बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तैंतीसवीं बैठक 8 से 10 फरवरी 2022 तक आयोजित की गई थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZL के अनुसार; रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के चौदहवें दिन, बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त प्रकाशित किए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2022 माह में निम्नलिखित मास्टर परिपत्र तथा मास्टर निदेश जारी किए:-

क्रम सं.	विवरण	जारी करने की तारीख
1	मास्टर परिपत्र – आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां	10 फरवरी 2022
2	रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स (रिज़र्व बैंक) निदेश - समीक्षा	10 फरवरी 2022
3	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा क्रेडिट चूक स्वैप (सीडीएस) में संव्यवहार - परिचालन अनुदेश	10 फरवरी 2022
4	मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट डेरिवेटिव) दिशानिदेश, 2022	10 फरवरी 2022
5	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - स्पष्टीकरण	15 फरवरी 2022
6	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा - स्पष्टीकरण	18 फरवरी 2022
7	मास्टर परिपत्र - आवास वित्त	18 फरवरी 2022

विनियमन समीक्षा प्राधिकरण

विनियमित संस्थाओं (आरई) पर अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से, विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) ने नवंबर 2021 में सिफारिशों की पहली शृंखला में 150 परिपत्रों को वापस लेने की सिफारिश की थी। इसी क्रम में, आरआरए ने अब सिफारिशों की दूसरी शृंखला में अतिरिक्त 100 परिपत्रों को वापस लेने की सिफारिश की है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

दूसरी अनुसूची में शामिल करना

रिज़र्व बैंक ने 18 फरवरी 2022 को सूचित किया कि 'सिक्किम राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड' का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विजयपुरा को जारी निदेश की परिचालन अवधि को 20 फरवरी 2022 से 19 मई 2022 तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाने हेतु रिज़र्व बैंक ने 18 फरवरी 2022 को उक्त बैंक को निदेश जारी किया तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. सरकार का बैंकर

केंद्र सरकार के लेनदेन

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आगामी सरकारी लेखांकन को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि मार्च 2022 माह के लिए शेष लेनदेन को बंद करने की तिथि 11 अप्रैल 2022 निर्धारित की जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. भुगतान और निपटान प्रणाली

प्रीपेड भुगतान लिखत

रिज़र्व बैंक ने 22 फरवरी 2022 को सूचित किया कि एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी, द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई से आवश्यक प्राधिकार प्राप्त किए बिना अपने कार-पूलिंग ऐप (एप्लिकेशन) 'एसराइड' के माध्यम से एक सेमी-क्लोज्ड (नॉन-क्लोज्ड) प्रीपेड लिखत (वॉलेट) का परिचालन किया जा रहा है, और आम जनता से यह अनुरोध है कि ऐसे एप्लिकेशन / एप्लिकेशनों का प्रयोग करते समय, ऐसी किसी अनधिकृत संस्था से लेनदेन करने और उसे अपना धन सौंपने के पहले अत्यधिक सावधानी बरतें। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली

रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2022 में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (बी) से (एफ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भुगतान और निपटान प्रणाली विनियम, 2008 में संशोधन किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. पर्यवेक्षण

कोर वित्तीय सेवाएं समाधान

रिज़र्व बैंक ने 23 फरवरी 2022 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) के लिए नियामक ढांचे को संशोधित किया, जिसके अनुसार 10 और उससे अधिक शाखाओं वाली एनबीएफ़सी को कोर बैंकिंग समाधान अपनाने के लिए अधिदेश दिया गया है। तदनुसार, एनबीएफसी - मध्यम स्तर और एनबीएफसी - 10 और उससे अधिक 'फिक्स्ड पॉइंट सर्विस डिलीवरी यूनिट्स' के साथ ऊपरी स्तर को 1 अक्टूबर 2022 से कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के समान 'कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन (सीएफएसएस)' को कार्यान्वित करना अनिवार्य होगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. वित्तीय समावेशन और विकास

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक देश की जनता के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षण संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से प्रति वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) आयोजित कर रहा है।

वर्तमान वर्ष के लिए 14 से 18 फरवरी 2022 के बीच एफएलडब्ल्यू का चयनित विषय "डिजिटल चुनो, सुरक्षा के साथ" है। यह विषय वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2020-2025 के कार्यनीतिक उद्देश्यों में से एक है। (क) डिजिटल लेनदेन की सुविधाएं, (ख) डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा और (ग) ग्राहकों का संरक्षण, के बारे में जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सूचना का प्रसार करें और अपने ग्राहकों तथा आम जनता के बीच जागरूकता फैलाएं। आरबीआई आम जनता के लिए आवश्यक वित्तीय जागरूकता संदेशों को प्रसारित करने हेतु मीडिया के माध्यम से अभियान चलाएगा।

VII. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

अप्राधिकृत फोरेक्स ट्रेडिंग

रिज़र्व बैंक ने जनता को अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) पर विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं करने या ऐसे अनधिकृत लेनदेन के लिए धन प्रेषण/जमा न करने के लिए आगाह किया है। रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय निवासियों को फोरेक्स ट्रेडिंग सुविधाओं का प्रस्ताव देने वाले अनधिकृत ईटीपी के भ्रामक विज्ञापनों, फोरेक्स ट्रेडिंग / निवेश योजनाओं को शुरू करने के लिए भोले-भाले लोगों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने वाले एजेंटों और ऐसे व्यापार/ योजनाओं के माध्यम से पैसे खोने वाले कई निवासियों से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद रिज़र्व बैंक ने ये चेतावनी जारी की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

वीआरआर के तहत निवेश सीमा

रिज़र्व बैंक ने 10 फरवरी 2022 को वीआरआर के तहत निवेश सीमा को 1 अप्रैल 2022 से ₹1,50,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,50,000 करोड़ कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक ने यूएसडी/आईएनआर स्वैप की घोषणा की

रिज़र्व बैंक ने 21 फरवरी 2022 को यह निर्णय लिया कि 8 मार्च 2022 को 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की विक्रय/क्रय स्वैप नीलामी की जाए। नीलामी एकाधिक-मूल्य-आधारित होगी अर्थात, सफल बोलियों को उनके संबंधित उद्धृत प्रीमियम, यदि कोई हो तो, पर स्वीकार किया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. आरबीआई बुलेटिन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 फरवरी 2022 को अपनी मासिक बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन में 10 फरवरी 2022 का मौद्रिक नीति वक्तव्य; एक भाषण; चार आलेख; और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। ये चार आलेख निम्नानुसार हैं-

i) *अर्थव्यवस्था की स्थिति*

घरेलू समष्टि-आर्थिक स्थितियों ने वैश्विक विकास से अलग एक अलग मार्ग चुना है। तीसरी लहर से निकलने के साथ ही भारत की आर्थिक गतिविधियों में समुत्थान और कर्षण हो रहा है। मांग मानदंडों पर आशावाद और उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास में वृद्धि के साथ विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, दोनों में विस्तार हो रहा है। जैसे-जैसे व्यवसाय एक नयी सामान्य स्थिति में लौटते हैं, नौकरी के परिदृश्य में सुधार की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र की स्थिति मजबूत बनी हुई है, यद्यपि ग्रामीण मांग में कमी के कुछ संकेत दिखाई दिये हैं। भले ही मौद्रिक नीति समायोजनकारी बनी हुई है, वैश्विक प्रभाव-विस्तार ने वित्तीय स्थितियों को नियंत्रित किया है।

ii. *जॉम्बीज और रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया*

यह आलेख इस बात की जांच करता है कि जॉम्बी फर्म, भारत में प्रतिचक्रीय मौद्रिक नीति पर कैसे प्रतिक्रिया देती हैं। यह ये भी पता लगाता है कि क्या मौद्रिक नीति आर्थिक मंदी की अवधि के दौरान जॉम्बी फर्मों को ऋण प्रवाह आबंटित करके रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया में बाधा डालती है।

iii. *बैड बैंक अच्छे बैंक के रूप में: भारत के लिए विभिन्न देशों से प्राप्त अनुभव से सबक*

गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के प्रबंधन से संबंधित सीमा-पारीय अनुभव यह बताता है कि एक बैड बैंक की स्थापना तब सबसे प्रभावी साबित होती है, जब उसके पास पर्याप्त सरकारी और कानूनी समर्थन होता है। भारतीय संदर्भ में, एक स्पष्ट जनादेश और एक स्पष्ट सरकारी गारंटी के साथ,राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) की स्थापना, वाणिज्यिक बैंकों पर वित्तीय तनाव को कम करने में मदद करेगी। एनएआरसीएल मौजूदा आस्ति प्रबंधन कंपनियों की गतिविधियों के पूरक, बृहद तनाव वाली संपत्तियों के समाधान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था होगा।

iv. *भारतीय विनिर्माताओं के रुख पर कोविड-19 का प्रभाव*

यह आलेख 2019-21 के दौरान आयोजित त्रैमासिक औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण (आईओएस) के माध्यम से महामारी के दौरान भारतीय निर्माताओं के रुख के विकास को समाहित करता है और विनिर्माण क्षेत्र में अपेक्षित सुधार प्रक्रिया का अनुमान लगाता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

वित्त मंत्री का संबोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 593वीं बैठक 14 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त और कॉर्पोरेट कार्य की माननीय केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों को अपने संबोधन में केंद्रीय बजट 2022-23 की पृष्ठभूमि और सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। बजट पर वित्त मंत्री की सराहना करते हुए बोर्ड के सदस्यों ने सरकार के विचारार्थ विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए।

बोर्ड ने अपनी बैठक में वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों की समीक्षा की। बोर्ड ने श्री एन. चंद्रसेकरन, निदेशक को पद्म भूषण पुरस्कृत होने पर सम्मानित भी किया।

केंद्रीय बोर्ड का नामांकन

केंद्र सरकार ने श्री संजय मल्होत्रा, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को श्री देबाशीष पण्डा के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। श्री संजय मल्होत्रा का नामांकन 16 फरवरी 2022 से अगले आदेश तक प्रभावी है।

IX. जारी आंकड़े

जनवरी 2022 के महीने में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	शीर्षक
1)	दिसंबर 2021 माह का भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
2)	बैंकिंग सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सर्वेक्षण, 2020-21
3)	जनवरी 2022 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
4)	पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम
5)	वर्ष 2021-2022 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए भारत की अदृश्य मदों पर आंकड़े
6)	भुगतान प्रणाली संकेतक
7)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा और ऋण राशियों पर आंकड़े
8)	बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।